

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—04/18 (2018/00004) वादपत्र

1. नैना उर्फ नानु आत्मज लालु कुमावत निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. सुवालाल आत्मज गोदु उर्फ गोदा कुमावत निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. लक्ष्मण आत्मज गोदु उर्फ गोदा कुमावत निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. दल्लु उर्फ दल्ला आत्मज गोदु उर्फ गोदा कुमावत निवासी थला, तहसील रायपुर
4. गोदा उर्फ गोदु आत्मज लालु कुमावत निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. कमलेश मेहता—

अधिवक्ता वादी

2. महेन्द्र सिंह —

अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 03.11.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि तत्कालीन न्यायालय गंगपुर के आदेश दिनांक 26.07.2007 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम थला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के सयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की खाता संख्या 516 में अकिंत आराजी संख्या 560 रकबा 0.22 है, आराजी संख्या 561 रकबा 0.16 है, आराजी संख्या 562 रकबा 0.06 है, कुल कित्ता 3 कुल रकबा 0.44 है भूमि वादी का 1/3 हिस्से का एवं खाता संख्या 515 में वर्णित आराजी संख्या 554 रकबा 0.26 है भूमि में वादी का 5/12 हिस्से का पृथक कर भौतिक आधिपत्य के अनुसार विभाजन प्रस्ताव मौका जांच कर तैयार करने का आदेश जारी किया गया था जिस पर तहसीलदार रायपुर द्वारा विभाजन प्रस्तुत किया गया उक्त विभाजन प्रस्ताव पर तत्कालीन उपखण्ड न्यायालय गंगपुर द्वारा निर्णय दिनांक 25.10.2007 पारित किया गया पारित निर्णय के विरुद्ध अपील करने पर उक्त निर्णय दिनांक 25.10.2007 को माननीय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी भीलवाड़ा द्वारा निरस्त कर निर्देशित किया गया कि बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार करते समय उभयपक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित की जाकर मीट्स एण्ड बाण्ड्स के आधार पर अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि का समान रूप से विभाजन किया जावे। उक्त आदेशानुसार तहसीलदार रायपुर से उभयपक्ष की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।






तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 20.10.2020 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और उभयपक्ष अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना एवं भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्रधीकारी भीलवाड़ा के आदेशानुसार पुनः प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम थला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रस्तावित आराजी संख्या 1931/554/2 रकबा 0.1084 है0, आराजी संख्या 1932/561 रकबा 0.1200 है0, आराजी संख्या 1934/562 रकबा 0.0300 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.2584 है0 भूमि देवा पिता नेनु उर्फ नानु कुमावत सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 1930/554 रकबा 0.1300 है0, आराजी संख्या 1931/554/1 रकबा 0.0216 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.1516 है0 भूमि सुवालाल, लक्ष्मण, दल्लु पिता गोदु 1/3 गोदा पिता लालु 2/3 कुमावत सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 560 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 1933/561 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 1935/562 रकबा 0.03 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.29 है0 भूमि सुवालाल, लक्ष्मण, दल्लु पिता गोदु 1/2, गोदा पिता लालु 1/2 कुमावत सा. देह खातेदार के नाम रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




3-11-2020
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला, भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—04/19 (2019/00004) वादपत्र

अनवान

1. नैना उर्फ नानु आत्मज लालु कुमावत निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. सुवालाल आत्मज गोदु उर्फ गोदा कुमावत निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. लक्ष्मण आत्मज गोदु उर्फ गोदा कुमावत निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. दल्लु उर्फ दल्ला आत्मज गोदु उर्फ गोदा कुमावत निवासी थला, तहसील रायपुर
4. गोदा उर्फ गोदु आत्मज लालु कुमावत निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा


प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम थला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 1931/554/2 रकबा 0.1084 है0, आराजी संख्या 1932/561 रकबा 0.1200 है0, आराजी संख्या 1934/562 रकबा 0.0300 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.2584 है0 भूमि देवा पिता नेनु उर्फ नानु कुमावत सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 1930/554 रकबा 0.1300 है0, आराजी संख्या 1931/554/1 रकबा 0.0216 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.1516 है0 भूमि सुवालाल, लक्ष्मण, दल्लु पिता गोदु 1/3 गोदा पिता लालु 2/3 कुमावत सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 560 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 1933/561 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 1935/562 रकबा 0.03 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.29 है0 भूमि सुवालाल, लक्ष्मण, दल्लु पिता गोदु 1/2, गोदा पिता लालु 1/2 कुमावत सा. देह खातेदार के नाम रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 03.11.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।




3-11-2020
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा